संख्या-4/2020/104/77-3 -2020-14बजट/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 जनवरी, 2020

विषय-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 69,42,41,079/- की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-6737/यूपीडा/08/147, दिनांक 07.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' में प्राविधानित धनराशि रू0 41302.00 लाख का प्राविधान किया गया। सम्प्रति धनराशि रू0 177,01,42,689.00 अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि में से पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक ब्याज धनराशि रू0 69,42,41,079.00 (रू0 उनहत्तर करोड़ बयालिस लाख एकतालिस हजार उन्नयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-15-यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के

निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-4/2020/104(1)/77-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।